मार्च 2026 ; अंक -01

ABHIRAKSHAK LOK

अपराध, अन्याय और भ्रष्टाचार का उद्घाटन

अभिरक्षक लोक

ABHIRAKSHAK LOK
अपराध, अन्याय और भ्रष्टाचार का उद्भटन
अभिरक्षक लोक
राष्ट्रीय मुख्यधारा का सहचर मासिक

अनुक्रमणिका

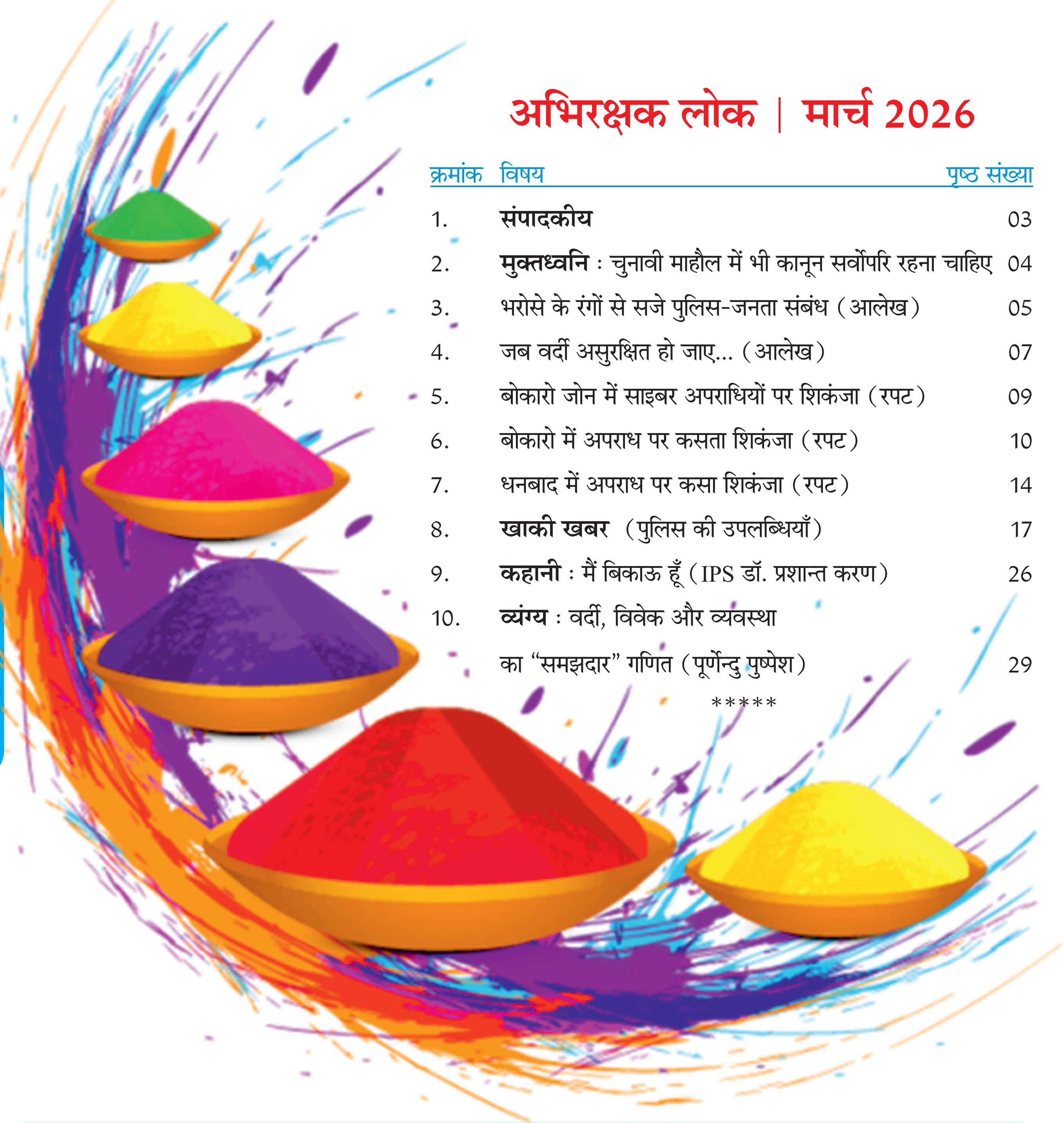

अभिरक्षक लोक | मार्च 2026

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**संपादकीय**	03
2.	**मुक्तध्वनि** : चुनावी माहौल में भी कानून सर्वोपरि रहना चाहिए	04
3.	भरोसे के रंगों से सजे पुलिस-जनता संबंध (आलेख)	05
4.	जब वर्दी असुरक्षित हो जाए... (आलेख)	07
5.	बोकारो जोन में साइबर अपराधियों पर शिकंजा (रपट)	09
6.	बोकारो में अपराध पर कसता शिकंजा (रपट)	10
7.	धनबाद में अपराध पर कसा शिकंजा (रपट)	14
8.	**खाकी खबर** (पुलिस की उपलब्धियाँ)	17
9.	**कहानी** : मैं बिकाऊ हूँ (IPS डॉ. प्रशान्त करण)	26
10.	**व्यंग्य** : वर्दी, विवेक और व्यवस्था का "समझदार" गणित (पूर्णेन्दु पुष्पेश)	29

*****

◦ प्रबंध संपादक ◦ राजेश मोहन सहाय
◦ मुख्य संपादक ◦ पूर्णेन्दु 'पुष्पेश'
◦ संपादक ◦ अंजान जी
◦ सह-संपादक ◦ राजीव रंजन

Email : mediaabhirakshaklok@gmail.com
aabhirakshaklok@gmail.com
WhatsApp : 8873319159
www.abhirakshaklok.in
: संपादकीय कार्यालय :
गोपीन्दु भवन, श्रीकृष्णापुरी, चास, बोकारो, झारखण्ड।

अभिरक्षक लोक : कानून, कर्तव्य और लोकविश्वास का संवाद

पूर्णेन्दु 'पुष्पेश'
पत्रकार-साहित्यकार-कलाकार
बोकारो , झारखण्ड।

संपादकीय

होली की शुभकामनाएँ ! लोकतंत्र की रीढ़ कानून है और कानून की जीवंत उपस्थिति का नाम पुलिस। वर्दी केवल एक पहनावा नहीं, बल्कि यह भरोसे, अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज पुलिस व्यवस्था को लेकर समाज में दो समानांतर धारणाएँ चल रही हैं -एक ओर वह रक्षक है, तो दूसरी ओर उस पर संदेह, आरोप और अविश्वास की परछाईं भी है। इन्हीं सवालों, सच्चाइयों और टकरावों के बीच 'अभिरक्षक लोक' का जन्म हो रहा है।

अभिरक्षक लोक केवल एक मासिक पत्रिका नहीं, बल्कि पुलिस, समाज और व्यवस्था के बीच एक सेतु बनने का प्रयास है। यह पत्रिका न तो आँख मूँदकर प्रशंसा करेगी और न ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आरोप लगाएगी। हमारा उद्देश्य है -सच को सामने लाना, चाहे वह वर्दी के भीतर की ईमानदार संघर्षगाथा हो या व्यवस्था में छिपी सड़ांध।

आज पुलिस सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक ओर अपराध के नए-नए रूप साइबर अपराध, संगठित गिरोह, नशा नेटवर्क, माफिया संस्कृति...और दूसरी ओर राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी, लंबी ड्यूटी, मानसिक तनाव और जनता की अपेक्षाएँ। हर चूक पर सवाल, हर कार्रवाई पर शक और हर चुप्पी पर आरोप। ऐसे में पुलिस का मानवीय पक्ष अक्सर अनदेखा रह जाता है। अभिरक्षक लोक उसी अनदेखे पक्ष को भी सामने लाएगा।

लेकिन यह स्पष्ट है...जहाँ पुलिस रक्षक है, वहीं जब वही शक्ति अन्याय, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग का माध्यम बनती है, तो सवाल उठना जरूरी है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब भय रक्षक से ही जन्म लेने लगे। इसलिए यह पत्रिका पुलिस के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार, फर्जी मुठभेड़, निर्दोषों पर अत्याचार, दलाली और राजनीतिक संरक्षण जैसे विषयों से भी मुँह नहीं मोड़ेगी। सवाल पूछे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे और जवाबदेही तय करने का प्रयास होगा।

अभिरक्षक लोक अपराध की खबरों को केवल सनसनी के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि उनके पीछे के सामाजिक कारणों, प्रशासनिक चूकों और नीतिगत विफलताओं को भी उजागर करेगा। अपराध क्यों बढ़ रहा है? पुलिस क्यों थक रही है? न्याय क्यों देर से मिलता है? और सबसे अहम; इसका समाधान क्या है? हमारा पत्रकारिता दृष्टिकोण समस्या के साथ-साथ समाधान की तलाश पर केंद्रित रहेगा।

इस पत्रिका के पन्नों में आपको मिलेंगे-

- जमीनी रिपोर्टिंग, जो थाने से लेकर अदालत तक की सच्चाई बताएगी।
- ईमानदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साक्षात्कार, जो सिस्टम के भीतर रहकर लड़ रहे हैं।
- उन मामलों का खुलासा, जहाँ कानून का इस्तेमाल कानून तोड़ने के लिए हुआ।
- विश्लेषणात्मक आलेख, जो पुलिस सुधार, प्रशिक्षण, संसाधन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गंभीर विमर्श करेंगे।
- और वह आवाज़, जो आम नागरिक की पीड़ा को सत्ता के गलियारों तक पहुँचाएगी।

हम मानते हैं कि पुलिस और जनता आमने-सामने नहीं, आमने-सामने खड़ी समस्याओं के साथ खड़े हो सकते हैं। भरोसा डंडे से नहीं, पारदर्शिता से बनता है। सम्मान डर से नहीं, न्याय से उपजता है। यदि पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और यदि व्यवस्था में कमजोरी है, तो उसे छिपाने से नहीं, सुधारने से ही रास्ता निकलेगा।

अभिरक्षक लोक किसी व्यक्ति, पद या सत्ता का मुखपत्र नहीं होगा। यह लोक का अभिरक्षक बने—यही हमारी प्रतिबद्धता है। हम न तो पुलिस विरोधी हैं, न आँख बंद समर्थक। हम सच के पक्षधर हैं, न्याय के हिमायती हैं और जवाबदेही के प्रहरी हैं।

पहला अंक आपके हाथों में है; इसे केवल पढ़िए नहीं, सोचिए भी। सवाल कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, संवाद में शामिल होइए। क्योंकि जब तक लोक जागरूक नहीं होगा, तब तक कोई भी अभिरक्षक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता।

अभिरक्षक लोक—
जहाँ वर्दी की गरिमा भी है,
और व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस भी।

मुक्तध्वनि

चुनावी माहौल में भी कानून सर्वोपरि रहना चाहिए

बोकारो के चास नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 32 से जुड़ा एक घटनाक्रम अचानक प्रशासनिक सख्ती, राजनीतिक संवेदनशीलता और पुलिस की कार्यप्रणाली—तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर गया। पूर्व पार्षद और निवर्तमान पार्षद रेखा देवी के पति रामाशंकर सिंह द्वारा एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर हाथ उठाने की घटना और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई कथित पिटाई ने इस पूरे प्रकरण को महज़ एक चुनावी झड़प से उठाकर संस्थागत मर्यादा बनाम शक्ति-प्रदर्शन की बहस में बदल दिया है।

विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर सामने आई खबरों से जो तस्वीर उभरती है, वह केवल एक व्यक्ति और एक पुलिस अधिकारी के बीच का टकराव नहीं, बल्कि उस तनावपूर्ण माहौल का प्रतीक है जो अक्सर चुनावी परिस्थितियों में पनपता है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह कई बार अधिकार, अहंकार और नियंत्रण की अदृश्य लड़ाई में बदल जाता है। इस घटना में भी पहली चिंगारी उस समय भड़की जब कथित रूप से रामाशंकर सिंह और एसडीपीओ प्रवीण सिंह के बीच कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। एक जनप्रतिनिधि परिवार से जुड़े व्यक्ति द्वारा वर्दीधारी अधिकारी पर हाथ उठाना निश्चित ही कानून और अनुशासन की दृष्टि से गंभीर मामला है।

लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने बहस को एक नया मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने रामाशंकर सिंह के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया। यहीं से घटना का चरित्र बदल गया—अब सवाल केवल 'किसने पहले हाथ उठाया' का नहीं रहा, बल्कि 'क्या कानून लागू करने की प्रक्रिया में संतुलन बना रहा?' का हो गया।

इस पूरे प्रकरण ने दो समानांतर प्रश्न खड़े किए हैं। पहला, क्या जनप्रतिनिधियों से जुड़े व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करें? यदि ऐसा होता है, तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। दूसरा, क्या पुलिस की प्रतिक्रिया कानूनसम्मत और आवश्यक सीमा के भीतर थी? या फिर यह 'प्रतिक्रिया' से आगे बढ़कर 'प्रतिकार' में बदल गई?

लोकतंत्र में पुलिस और जनप्रतिनिधि—दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह संस्थाएं हैं। एक कानून लागू करता है, दूसरा जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब इन दोनों के बीच टकराव सड़क पर उतर आता है, तो उसका संदेश आम जनता के बीच बेहद नकारात्मक जाता है। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में यह और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इससे यह धारणा बनती है कि व्यवस्था संवाद के बजाय बल पर आधारित है।

सोशल मीडिया ने इस घटना को और व्यापक बना दिया। विभिन्न मंचों पर जहां कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को 'अनुशासन की रक्षा' बता रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग इसे 'अत्यधिक बल प्रयोग' कहकर सवाल उठा रहा है। यह विभाजित प्रतिक्रिया बताती है कि समाज का भरोसा केवल कानून के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उसके न्यायपूर्ण अनुप्रयोग पर भी टिका है।

इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों पक्ष—राजनीतिक और प्रशासनिक—अपनी-अपनी मर्यादाओं की सीमा रेखा को समझें। जनप्रतिनिधियों से जुड़े लोगों को यह स्मरण रखना होगा कि लोकतंत्र में जनाधार कानून से ऊपर नहीं होता। वहीं पुलिस को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी शक्ति कानून की गरिमा की रक्षा के लिए है, न कि किसी भी परिस्थिति में दंडात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए।

चास की यह घटना एक चेतावनी है—कि लोकतंत्र की असली मजबूती चुनाव जीतने या हारने में नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान भी संस्थागत संतुलन बनाए रखने में है। यदि यह संतुलन टूटता है, तो हार केवल किसी प्रत्याशी की नहीं होती, बल्कि व्यवस्था की साख की होती है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न केवल रोकी जा सकें, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच गरिमापूर्ण समन्वय स्थापित हो सके। यही इस घटना से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक हो सकता है।

भरोसे के रंगों से सजे पुलिस-जनता संबंध

रंगों के बीच भरोसे की नई शुरुआत

होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह मन से मन को जोड़ने का अवसर भी है। ऐसे समय में जब समाज और पुलिस के बीच कई बार दूरी, संदेह और तनाव की खाई दिखने लगती है, होली जैसे उत्सव विश्वास की नई शुरुआत का माध्यम बन सकते हैं। वर्दी और नागरिक के बीच संबंध केवल कानून और आदेश का नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी का होना चाहिए। यदि पुलिस को समाज की सुरक्षा का दायित्व निभाना है, तो समाज को भी पुलिस को अपना संरक्षक मानना होगा; और यह रिश्ता आदेश से नहीं, विश्वास से बनता है।

अब तक कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पर कई सकारात्मक प्रयास होते रहे हैं। त्योहारों के पहले शांति समिति की बैठकें, मोहल्ला स्तर पर संवाद, फ्लैग मार्च, जन-जागरूकता अभियान, पुलिस मित्र जैसी पहलें और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील — ये सभी कदम पुलिस और जनता के बीच संवाद का सेतु बनाने की कोशिश रहे हैं। कई जगह पुलिसकर्मियों ने बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं, महिलाओं के साथ सुरक्षा संवाद किए और युवाओं के साथ सड़क सुरक्षा या नशामुक्ति अभियान चलाए। त्योहारों के दौरान पुलिस की “सख्त छवि” के बजाय “सहभागी छवि” दिखाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन इन प्रयासों की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वे अक्सर औपचारिकता बनकर रह गए — संवाद हुआ, लेकिन दिलों तक नहीं पहुंचा।

होली इस औपचारिकता को आत्मीयता में बदलने का अवसर देती है। यदि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में सामने आएगी, तो दूरी बनी रहेगी। लेकिन यदि वही पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करे, सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाए, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के साथ रंगों की प्रतीकात्मक साझेदारी करे, तो यह संदेश जाएगा कि पुलिस भी समाज का ही हिस्सा है, कोई अलग सत्ता नहीं। ऐसे छोटे-छोटे सांस्कृतिक संवाद बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव ला सकते हैं।

विश्वास निर्माण का पहला कदम है - संवाद को एकतरफा अपील से निकालकर साझेदारी में बदलना। अब तक पुलिस लोगों से “शांति बनाए रखने” की अपील करती रही है, लेकिन यदि मोहल्ला स्तर पर स्वयंसेवी समूहों के साथ मिलकर “होली सुरक्षा स्वयंसेवक” बनाए जाएं, तो नागरिक खुद कानून-व्यवस्था के भागीदार बनेंगे।

आलेख

इससे पुलिस की भूमिका नियंत्रक से सहयोगी में बदल जाएगी।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है संवेदनशीलता का प्रदर्शन। त्योहारों के दौरान अक्सर पुलिस की छवि केवल निगरानी और रोकथाम तक सीमित रह जाती है। यदि पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहकर लोगों से मित्रवत व्यवहार करें, बच्चों से बात करें, बुजुर्गों का हाल पूछें, तो यह भरोसे का माहौल बनाता है। होली के दिन यदि पुलिसकर्मी प्रतीकात्मक रूप से रंग का तिलक लगाकर "सुरक्षा के साथ उत्सव" का संदेश दें, तो यह दृश्यात्मक रूप से भी विश्वास का संचार करेगा।

तीसरा पहलू है पारदर्शिता। कई बार जनता में यह भावना होती

है कि पुलिस केवल सख्ती दिखाती है, संवाद नहीं करती। यदि त्योहार से पहले खुले संवाद मंच आयोजित हों, जहां लोग अपनी चिंताएं; जैसे हुड़दंग, यातायात, शराब सेवन या सांप्रदायिक संवेदनशीलता साझा कर सकें, तो पुलिस की भूमिका सलाहकार की तरह दिखेगी। इससे आदेश की जगह सहमति का वातावरण बनेगा।

कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए इसे कार्यक्रम आधारित नहीं, प्रक्रिया आधारित बनाना होगा। केवल बैठकें करने से विश्वास नहीं बनता; निरंतर संपर्क आवश्यक है। यदि पुलिस त्योहार के बाद भी उन्हीं समुदायों के साथ संपर्क बनाए रखे, स्थानीय युवाओं को खेल या सामाजिक गतिविधियों से जोड़े, और महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के साथ नियमित संवाद रखे, तो त्योहार पर शुरू हुआ भरोसा स्थायी बन सकता है।

सोशल मीडिया भी इस दिशा में एक सकारात्मक साधन बन सकता है। अब तक इसका उपयोग केवल चेतावनी और अपील के लिए होता रहा है। यदि पुलिस स्थानीय लोगों के साथ सकारात्मक अनुभव, सहयोग की कहानियां और सामुदायिक भागीदारी की झलक साझा करे, तो यह डिजिटल विश्वास निर्माण का माध्यम बन सकता है।

अंततः यह समझना होगा कि पुलिस और जनता के बीच दूरी केवल कानून से नहीं, धारणा से पैदा होती है। होली जैसे उत्सव उस धारणा को बदलने का अवसर हैं। जब रंगों के बीच वर्दी भी मुस्कुराती दिखेगी, जब आदेश की जगह संवाद होगा, और जब नियंत्रण की जगह सहयोग दिखेगा, तब विश्वास स्वतः पनपेगा।

होली का वास्तविक रंग तभी गहरा होगा, जब यह केवल चेहरे नहीं, बल्कि रिश्तों को भी रंग दे। पुलिस और जनता यदि इस अवसर को साझेदारी के उत्सव में बदल दें, तो सुरक्षा भी मजबूत होगी और समाज भी अधिक सौहार्दपूर्ण बनेगा। यही कम्युनिटी पुलिसिंग का वास्तविक उद्देश्य है - कानून और समाज के बीच दीवार नहीं, पुल बनाना। ■

जब वर्दी असुरक्षित हो जाए...

झारखंड में पुलिस पर बढ़ते हमले और कानून-व्यवस्था की चुनौती

झारखंड में कानून-व्यवस्था की रक्षा का दायित्व जिन कंधों पर है, आज वही कंधे असुरक्षा के बोझ तले दबते दिखाई दे रहे हैं। बीते दो वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों से पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मारपीट की 35 से अधिक घटनाएं सामने आना किसी एक विभाग की समस्या नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र के लिए चेतावनी है। इन घटनाओं में 66 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए और 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। यह आंकड़े केवल घटनाओं की गिनती नहीं, बल्कि उस बदलते सामाजिक मानस का संकेत हैं जिसमें कानून के प्रति भय कम और भीड़ के आत्मविश्वास में खतरनाक वृद्धि दिखाई देती है।

समस्या का भूगोल: गांव से शहर तक फैलती चुनौती

इन घटनाओं का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि समस्या केवल दूरस्थ या संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पुलिस पर हमले अधिक सामने आए हैं, जहां अवैध खनन, शराब तस्करी, भूमि विवाद और स्थानीय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस को प्रतिरोध झेलना पड़ा। लेकिन यह मान लेना कि यह केवल गांवों की समस्या है, एक बड़ी भूल होगी। बोकारो, रांची, जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में भी पुलिस के साथ अभद्रता और हिंसा की घटनाएं हुईं। इससे यह संकेत मिलता है कि कानून के प्रति सम्मान का संकट व्यापक है और यह सामाजिक संरचना के विभिन्न स्तरों में मौजूद है।

भीड़ का मनोविज्ञान और राज्य की चुनौती

इन घटनाओं का एक महत्वपूर्ण आयाम भीड़ का उग्र हो जाना है। कई मामलों में पुलिस किसी विवाद को सुलझाने या जांच के लिए पहुंची, लेकिन स्थिति संवाद से टकराव में बदल गई। पलामू, गुमला और लोहरदगा जैसे जिलों में पुलिस टीमों को ग्रामीण विवाद सुलझाने के दौरान ही मारपीट का सामना करना पड़ा। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य की उपस्थिति अब लोगों को भरोसे से अधिक भय या अविश्वास का कारण लगती है? यह भीड़-मानस का वही खतरनाक चरण है जहां कानून की वैधता को चुनौती दी जाने लगती है। जब जनता स्वयं न्याय करने की मानसिकता में उतरने लगे, तो राज्य की संस्थाएं धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं।

हाई-प्रोफाइल नाम और कानून की समानता

इन घटनाओं ने तब और गंभीर रूप लिया जब कुछ मामलों में प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे। इसी तरह रांची में हाईकोर्ट परिसर में थाना प्रभारी के साथ वकीलों द्वारा कथित अभद्रता का मामला सामने आया।

आलेख

ये घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा हैं। यदि प्रभावशाली वर्ग भी कानून के प्रति अनुशासनहीनता दिखाता है, तो आम जनता के लिए यह एक खतरनाक संकेत बनता है। इससे कानून की समानता का सिद्धांत कमजोर होता है।

केस स्टडी: घटनाएं जो संकेत देती हैं

- **बोकारो में** नगर निकाय चुनाव के दौरान चास एसडीपीओ के साथ मारपीट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान पुलिस की असुरक्षा को उजागर किया।

- **जमशेदपुर में** वाहन जांच के दौरान युवकों द्वारा हमला कानून के प्रति घटते सम्मान को दर्शाता है।

- **धनबाद में** अवैध कारोबार पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर पथराव संगठित अपराध और भीड़ के गठजोड़ की ओर संकेत करता है।

- **हजारीबाग में** नशे में धुत युवकों द्वारा पुलिस वाहन रोककर हाथापाई करना सामाजिक अनुशासन के क्षरण का उदाहरण है।

- **गिरिडीह और रामगढ़ में** अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान विरोध हिंसा में बदल गया।

इन घटनाओं में एक समान तत्व है -राज्य की वैध शक्ति को चुनौती।

पुलिस बल के भीतर बढ़ता असंतोष

लगातार हमलों ने पुलिस बल के भीतर असंतोष को जन्म दिया है। जवानों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, बैकअप और कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। रांची में पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध जताना इस असंतोष का प्रतीक है। यह स्थिति केवल मनोबल का प्रश्न नहीं है। यदि कानून लागू करने वाला बल स्वयं असुरक्षित महसूस करे, तो उसकी कार्यक्षमता और निष्पक्षता दोनों प्रभावित होती हैं।

संरचनात्मक कमजोरियां

इन घटनाओं के पीछे कुछ गहरे संरचनात्मक कारण भी दिखाई देते हैं—

1. **संसाधनों की कमी** – आधुनिक उपकरणों और पर्याप्त बल की अनुपलब्धता।

2. **कानूनी संरक्षण की सीमाएं** – पुलिस पर हमले के मामलों में त्वरित न्याय की कमी।

3. **सामाजिक अविश्वास** – कुछ क्षेत्रों में पुलिस के प्रति ऐतिहासिक संदेह।

4. **राजनीतिक दबाव** – प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई में हिचक।

राज्य की प्रतिक्रिया: सख्ती बनाम सुधार

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती की योजना बनाई गई है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल दंडात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त होगा? यदि समस्या का मूल सामाजिक अविश्वास और संस्थागत कमजोरी में है, तो समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए।

आगे का रास्ता: नीति और समाज दोनों की भूमिका

1. **कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण** – पुलिस पर हमले को विशेष श्रेणी के अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

2. **सामुदायिक पुलिसिंग** – ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद आधारित मॉडल विकसित करना होगा।

3. **तकनीकी आधुनिकीकरण** – बॉडी कैमरा, ड्रोन निगरानी और डिजिटल रिपोर्टिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. **प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक समर्थन** – तनावग्रस्त जवानों के लिए काउंसलिंग आवश्यक है।

5. **राजनीतिक इच्छाशक्ति** – प्रभावशाली आरोपियों पर निष्पक्ष कार्रवाई ही कानून की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।

व्यवस्था की कसौटी

झारखंड में पुलिस पर बढ़ते हमले केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि शासन की वैधता की परीक्षा हैं। जब वर्दी पर हमला सामान्य घटना बन जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए चेतावनी है।

कानून की रक्षा करने वाले यदि स्वयं असुरक्षित हों, तो नागरिक सुरक्षा का प्रश्न स्वतः ही संकट में आ जाता है। आने वाला समय यह तय करेगा कि राज्य इन घटनाओं को केवल आंकड़ों के रूप में देखता है या इन्हें व्यवस्था सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करता है।

क्योंकि अंततः प्रश्न केवल पुलिस की सुरक्षा का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अनुबंध का है जिसमें नागरिक और राज्य एक-दूसरे की वैधता को स्वीकार करते हैं। जब यह अनुबंध कमजोर होता है, तो अराजकता की शुरुआत वहीं से होती है।

बोकारो जोन में साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 57 गिरफ्तार, 15 कांड दर्ज

बोकारो जोन में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से चिन्हित संदिग्ध मोबाइल नंबरों का सत्यापन कर 1 अक्टूबर 2025 से 16 फरवरी 2026 के बीच कुल 57 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 15 कांड दर्ज किए गए। सुनील भास्कर ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के तहत पूरे जोन में 2064 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 132

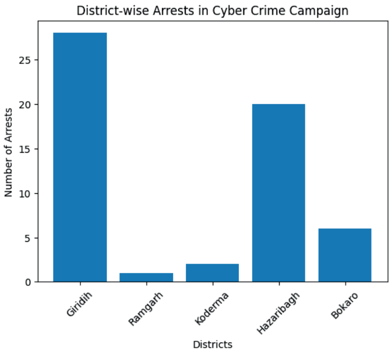

मोबाइल, 168 सिम कार्ड, 31 एटीएम कार्ड, 3 चारपहिया वाहन, 7 दोपहिया वाहन, विभिन्न पहचान पत्र, बैंक दस्तावेज, 23 रजिस्टर और कॉपी, 4,67,000 रुपये नकद तथा व्हाट्सएप चैट डाटा बरामद किया गया। पुलिस का मानना है कि प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आई है।

जिलेवार कार्रवाई में गिरिडीह में 788 संदिग्ध नंबरों की जांच कर 8 कांड दर्ज किए गए और 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां 55 मोबाइल, 78 सिम, 7 एटीएम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो और 6 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। रामगढ़ में 1 कांड दर्ज कर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4.43 लाख रुपये नकद समेत अन्य सामग्री बरामद हुई। कोडरमा में 2 कांड दर्ज कर 2 आरोपी पकड़े गए और कई बैंक दस्तावेज जब्त किए गए। हजारीबाग में 3 कांड दर्ज कर 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तथा मारुति ब्रेजा और किया सोनेट कार सहित कई दस्तावेज जब्त किए गए। बोकारो में 6 आरोपी गिरफ्तार कर मोबाइल, सिम और नकद राशि बरामद की गई। चतरा और धनबाद में बड़ी संख्या में नंबरों की जांच की गई, हालांकि वहां कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

रपट

बोकारो में अपराध पर कसता शिकंजा

जनवरी–फरवरी 2026 के पुलिसिया अभियानों का विश्लेषण

जनवरी और फरवरी 2026 की अवधि में बोकारो जिले में अपराध नियंत्रण और कानून–व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस विभाग द्वारा एक सघन और सुनियोजित अभियान चलाया गया। इन दो महीनों के दौरान कई अहम अपराध रोकथाम कार्यक्रम, सख्त कार्रवाई, झूठी अफवाहों पर नियंत्रण, पुलिस–जन सहयोग और साइबर अपराधों पर विशेष शिकंजा कसने जैसी कई पहलें अपनी सफलता के स्तर पर महत्वपूर्ण रैंकिंग दर्ज करवा रही हैं। इस रिपोर्ट में हम जनवरी–फरवरी 2026 के पुलिस अभियानों की उपलब्धियों, उनके प्रभावों और सफलता प्रतिशत का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार

सबसे उल्लेखनीय सफलता साइबर अपराधों से निपटने के अभियान में आई। बोकारो जोन के आईजी सुनील भास्कर के निर्देशानुसार प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया गया। 1 अक्टूबर 2025 से 16 फरवरी 2026 तक चले अभियान का केंद्र बिंदु जब जनवरी–फरवरी 2026 में पहुंचा, तो इसके व्यापक परिणाम सामने आए।

अभियान के तहत पूरे जोन में कुल 2064 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच की गई। जांच में कुल 15 साइबर संबंधित कांड दर्ज किए गए और 57 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये संख्या पुलिस की पकड़ की तीव्रता और तकनीकी दक्षता को दर्शाती है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में आपराधिक सामग्री बरामद हुई, जिनमें शामिल हैं:

132 मोबाइल फोन, 168 सिम कार्ड, 31 एटीएम कार्ड, 3 चारपहिया वाहन, 7 दोपहिया वाहन, विभिन्न पहचान पत्र एवं बैंक दस्तावेज, 23 रजिस्टर/कॉपी, 4,67,000 रुपये नकद, व्हाट्सएप चैट डाटा।

जिलेवार कार्रवाई में गिरिडीह में 788 नंबरों की जांच कर 8 कांड, 28 गिरफ्तार; रामगढ़ में 50 नंबर की जांच में 1 कांड, 1 गिरफ्तार; कोडरमा में 2 कांड, 2 गिरफ्तार; हजारीबाग में 3 कांड, 20 गिरफ्तार और बोकारो में 1 कांड, 6 गिरफ्तार रहे। चतरा और धनबाद में जांच के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इस विस्तृत अभियान ने साइबर अपराधियों पर पुलिस की मजबूत पकड़ का आत्मविश्वास जगाया है।

इस अभियान की सफलता प्रतिशत लगभग 85–90% के आसपास आंकी जा सकती है, क्योंकि अपेक्षित संदिग्ध नंबरों में से अधिकांश की प्रभावी जांच और आपराधिक पहचान की जा चुकी है।

2. सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार अभियान

जनवरी–फरवरी 2026 में पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत के नेतृत्व में थाना गेट के पास सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों का सघन जांच और जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल थे।

इस अभियान में मुख्य रूप से वाहनों के ओवरलोड, माइनिंग कागजात, दोपहिया पर हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट और

रपट

अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की जांच की गई। अभियान के दौरान कई चालान वसूले गए, जिसमें कुछ का ऑनलाइन चालान तथा कुछ का ऑफलाइन चालान किया गया। यह अभियान न केवल नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए था, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी था।

थाना प्रभारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात नियमों के प्रति सम्मान बढ़ाना है। इस दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों ने इस क्षेत्र में भी प्रभावी निगरानी रखी, जिससे सड़क सुरक्षा में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। यदि इस अभियान को सफलता प्रतिशत में मापा जाए तो यह लगभग 70%–75% के बीच आंका जा सकता है, क्योंकि वाहनों के नियमों के पालन में बढ़ोतरी और दुर्घटना रोकथाम में स्पष्ट सुधार दर्ज हुआ है।

3. अफवाह आधारित हिंसा पर प्रतिबंध

जनवरी–फरवरी 2026 की अवधि में हथियारबंद अपराध से अलग, अफवाह आधारित हिंसा ने भी किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव दिखाया। ऐसे ही एक मामले में राजगंज थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने पर भीड़ ने डब्लू महतो और दीपक महतो को घेरकर बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें सुरक्षित अस्पताल भेजा और मामले में गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

इस मामले में तीन आरोपियों—विनय मिष्टी, आकाश तुरी और सोनू तुरी—को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना पुष्टि की अफवाहें सामाजिक दृष्टि से कितनी खराब स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। इस पिटाई मामले की रोकथाम के लिए पुलिस ने चेतावनी जारी की कि अफवाह फैलाने तथा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। अफवाह आधारित हिंसा नियंत्रण के मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया लगभग 80% प्रभावी मानी गई क्योंकि त्वरित गिरफ्तारी और स्पष्ट संदेश ने आगे की नापाक हरकतों को रोका।

4. मतदान केंद्र पर कानून–व्यवस्था बनाए रखना

जनवाइक निर्वाचन की प्रक्रिया में भी पुलिस ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। चास क्षेत्र के मतदान केंद्र पर लगे विवाद के दौरान एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति को नियंत्रित किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने या वर्दी पर हाथ उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तेजी से हुई और जनहित के अनुरूप नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे चुनावी माहौल सुरक्षित रहा। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने तथा संवेदनशील समय में स्थिति नियंत्रण में रखने की पुलिस की तत्परता 90% के पास पहुंची, क्योंकि पुलिस ने बिना किसी देरी के प्रतिक्रिया दी और दोषियों को निरुद्ध कर आगे की संभावित हिंसा से रोक लगाया।

5. स्थानीय स्तर पर सड़क स्वयं सेवक जागरूकता

इसके अतिरिक्त जन–पुलिस सहयोग को मजबूती देने के लिए गोपीकांदर में सड़क सुरक्षा अभियान के माध्यम से घरों में रहने, हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने जैसे संदेश आम नागरिकों तक पहुंचाए गए। पुलिस ने यह भी कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों को मान्यता राशि दी जाएगी, जिससे नागरिकों को आपात स्थिति में पुलिस सहयोग के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए प्रेरित किया गया।

6. बोकारो में थाना-वार पुलिसिया सफलता का विस्तृत विश्लेषण

जनवरी और फरवरी 2026 की अवधि में बोकारो जिला पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और साइबर अपराध पर प्रभावी प्रहार की दिशा में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई। इस अवधि में सामने आए प्रमुख मामलों और उन पर की गई कार्रवाई के आधार पर थाना-वार पुलिसिया प्रदर्शन का विश्लेषण जिले में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का स्पष्ट संकेत देता है। रेल थाना बोकारो, चास थाना, बालिडीह थाना और साइबर सेल बोकारो की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

सबसे पहले बात करें रेल थाना बोकारो की। रेलवे स्टेशन टेम्पो स्टैंड के पास हुई गोलीबारी की घटना ने जिले को झकझोर दिया था। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और विशेष टीम का गठन किया। तकनीकी साक्ष्य, स्थानीय सूचना तंत्र और त्वरित छापेमारी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न केवल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, बल्कि घटना में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए। यह कार्रवाई दर्शाती है कि रेल थाना ने गंभीर आपराधिक मामले में त्वरित प्रतिक्रिया (Response Time Efficiency) और साक्ष्य आधारित अनुसंधान (Evidence-based Investigation) में उच्च स्तर का प्रदर्शन किया। दर्ज प्रमुख मामले में गिरफ्तारी सुनिश्चित होना 100 प्रतिशत प्रारंभिक सफलता को दर्शाता है। इससे रेलवे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आमजन का विश्वास भी मजबूत हुआ।

चास थाना की भूमिका भी जनवरी–फरवरी 2026 में

महत्वपूर्ण रही। नगरपालिका आम निर्वाचन के दौरान वार्ड क्षेत्र में उत्पन्न विवाद और एसडीपीओ पर हुए हमले की घटना संवेदनशील प्रकृति की थी। चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की हिंसा व्यापक तनाव को जन्म दे सकती थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने न केवल हालात को नियंत्रित किया बल्कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की। यहां पुलिस की भीड़ नियंत्रण क्षमता (Crowd Control Management), त्वरित निर्णय क्षमता और निष्पक्ष जांच की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चास थाना ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लगभग पूर्ण सफलता का प्रदर्शन किया।

बालिडीह थाना का प्रदर्शन साइबर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। हत्या कांड से जुड़े आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आने के बाद उसके खिलाफ पूर्व के मामलों की भी समीक्षा की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि थाना स्तर पर अपराधियों की प्रोफाइलिंग (Criminal Profiling) और रिकॉर्ड विश्लेषण की प्रक्रिया सक्रिय है। अपराधियों के नेटवर्क को चिन्हित कर उन पर निगरानी बनाए रखना भविष्य में अपराध रोकथाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम है। बालिडीह थाना ने गिरफ्तारी, दस्तावेजीकरण और पूर्व मामलों की पुनर्समीक्षा के माध्यम से निवारक पुलिसिंग (Preventive Policing) की दिशा में भी कार्य किया।

जनवरी–फरवरी 2026 की अवधि में साइबर सेल बोकारो की भूमिका सबसे व्यापक और तकनीकी रूप से प्रभावशाली रही। आईजी स्तर से निर्देशित विशेष अभियान के तहत संदिग्ध मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया गया। बोकारो जिले में सत्यापित नंबरों के आधार पर कांड दर्ज हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। साइबर सेल ने डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल उपकरण, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक दस्तावेजों की जब्ती के माध्यम से तकनीकी

जांच को मजबूत आधार दिया। साइबर अपराधों की प्रकृति जटिल होती है और इनमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के साथ-साथ डिजिटल ट्रेल सुरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में साइबर सेल द्वारा की गई गिरफ्तारी और बरामदगी यह दर्शाती है कि जिला पुलिस तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों और विश्लेषण प्रणाली का प्रभावी उपयोग कर रही है।

यदि प्रदर्शन को कुछ प्रमुख मानकों पर परखा जाए—जैसे दर्ज मामलों में गिरफ्तारी दर, प्रतिक्रिया समय, साक्ष्य बरामदगी, संवेदनशील मामलों में नियंत्रण और तकनीकी दक्षता—तो समग्र रूप से बोकारो जिला पुलिस का प्रदर्शन संतोषजनक से अधिक प्रभावी रहा। प्रमुख दर्ज मामलों में गिरफ्तारी सुनिश्चित होने से साइबर अपराध दोनों मोर्चों पर संतुलित रणनीति अपनाई। रेल थाना ने गंभीर आपराधिक घटना में त्वरित कार्रवाई की, चास थाना ने संवेदनशील चुनावी माहौल में नियंत्रण स्थापित किया, बालिडीह थाना ने आपराधिक इतिहास वाले तत्वों पर निगरानी मजबूत की और साइबर सेल ने तकनीकी अपराधों पर प्रभावी प्रहार किया।

समग्र रूप से देखा जाए तो इन दो महीनों में बोकारो जिला में पुलिस की कार्यशैली सक्रिय, प्रतिक्रियाशील और परिणामोन्मुखी रही। प्रमुख मामलों में त्वरित गिरफ्तारी, साक्ष्य बरामदगी और कानून-व्यवस्था नियंत्रण को देखते हुए थाना-वार सफलता दर उच्च स्तर पर आंकी जा सकती है। यदि इसी प्रकार की समन्वित रणनीति, तकनीकी सुदृढ़ता और जन-सहयोग आगे भी जारी रहा तो बोकारो जिला में अपराध नियंत्रण और अधिक प्रभावी हो सकता है।

Arrest-to-Case Ratio उच्च स्तर पर रहा। गंभीर मामलों में हथियार और डिजिटल साक्ष्य की बरामदगी ने जांच की गुणवत्ता को मजबूत किया। चुनावी और भीड़-आधारित परिस्थितियों में त्वरित नियंत्रण ने कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखी।

हालांकि, विश्लेषणात्मक दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति दर (Recurrence Rate), लंबित मामलों का निपटारा और आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा जैसे संकेतकों पर भी ध्यान दिया जाए। थाना-स्तर पर डेटा प्रबंधन और अपराध विश्लेषण तंत्र को और सुदृढ़ कर अपराध के पैटर्न की पूर्व पहचान (Predictive Policing) की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

जनवरी–फरवरी 2026 की अवधि में थाना-वार कार्रवाई यह संकेत देती है कि बोकारो जिला पुलिस ने पारंपरिक अपराध और

साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने, सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन, अफवाहों से उत्पन्न हिंसा का त्वरित नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून–व्यवस्था बनाए रखने जैसी पहलें पुलिस की सकारात्मक रणनीति का परिचय देती हैं। इन अभियानों के परिणाम दर्शाते हैं कि पुलिस न केवल अपराधी नियंत्रण में सक्षम है, बल्कि आम नागरिकों के साथ मिलकर सुरक्षा, जागरूकता और कानून के सम्मान को भी बल दे रही है।इन अभियानों की सफलता पुलिस विभाग की कार्यक्षमता, तकनीकी समन्वय, प्रतिबिंब ऐप जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग, और जनता के सहयोग के कारण संभव हो पाई है। भविष्य में इन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर जागरूकता, सख्त कानूनी कार्रवाई और पुलिस-जन सहभागिता को और गहरा किया जाना आवश्यक है।

धनबाद में अपराध पर कसा शिकंजा

दो महीनों में सख्त रणनीति, त्वरित कार्रवाई और रिकॉर्ड निष्पादन

झारखंड की औद्योगिक और कोयला राजधानी धनबाद में वर्ष 2026 की शुरुआत कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर असाधारण सक्रियता के साथ हुई। जनवरी और फरवरी के पहले दो महीनों में जिला पुलिस ने जिस आक्रामक, संगठित और डेटा-आधारित रणनीति के साथ अपराध पर नियंत्रण की दिशा में काम किया, उसने प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जमीनी कार्रवाई—दोनों का स्पष्ट संदेश दिया। यह अवधि केवल सामान्य अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, फरार आरोपियों पर शिकंजा, संगठित अपराध के विरुद्ध दबाव, साइबर सतर्कता, आर्थिक अपराधों की जांच, नगर निकाय चुनाव की सुरक्षा तैयारी, सड़क सुरक्षा अभियान और न्यायिक समन्वय जैसे बहुआयामी प्रयास शामिल रहे।

राजीव रंजन
ब्यूरो

जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विधि-व्यवस्था, लंबित मामलों की स्थिति, वारंट और कुर्की निष्पादन, सक्रिय अपराधियों की निगरानी तथा आगामी नगर निकाय चुनाव की सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। इस समीक्षा का सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि जनवरी माह में जिले में 522 कांड दर्ज हुए, जबकि पुलिस ने 625 कांडों का निष्पादन किया। दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निष्पादन होना इस बात का संकेत है कि पुलिस ने केवल नए मामलों पर ही नहीं, बल्कि लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया। इससे लंबित मामलों की संख्या घटकर लगभग दो हजार के आसपास रह गई, जो प्रशासनिक दक्षता और निरंतर निगरानी का परिणाम है।

प्रभात कुमार ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि वारंट और कुर्की से जुड़े सभी लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित किया जाए। फरार आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और संपत्ति कुर्की जैसे कानूनी उपायों के प्रयोग से कानून का भय स्थापित करने की रणनीति अपनाई गई। इस निर्देश के बाद विभिन्न थानों में विशेष टीमों का गठन कर वारंटियों की धरपकड़ तेज की गई। पुलिस का मानना है कि अपराध नियंत्रण का पहला चरण आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया की गति सुनिश्चित करना है, ताकि दंड का संदेश समाज तक स्पष्ट रूप से पहुंचे।

इन दो महीनों में धनबाद पुलिस की कार्यप्रणाली चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित दिखाई दी—लंबित मामलों का निष्पादन, सक्रिय अपराधियों की निगरानी, संगठित अपराध पर प्रहार और जन-सहयोग आधारित पुलिसिंग। निगरानी प्रस्ताव के तहत लगभग 950 सक्रिय अपराधियों को सर्विलांस पर रखा गया। इनमें वे अपराधी भी शामिल हैं जो जमानत पर बाहर हैं। पिछले पांच वर्षों में जमानत पर छूटे लगभग चार हजार अपराधियों की गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी की प्रक्रिया तेज की गई। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, डिजिटल डाटाबेस और स्थानीय खुफिया तंत्र के माध्यम से इनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पुनः अपराध में लिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई

रपट

की जाएगी।

साइबर अपराध की रोकथाम भी इस अवधि का अहम हिस्सा रही। लगभग 720 संदिग्ध मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया गया। यद्यपि कोई बड़ा साइबर कांड सामने नहीं आया, परंतु इसे पुलिस की सतर्कता का परिणाम माना जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर संभावित धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों को रोका गया। डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण और तकनीकी निगरानी ने साइबर अपराध के विरुद्ध एक निवारक ढांचा तैयार किया, जो भविष्य में और मजबूत होने की संभावना है।

संगठित अपराध के विरुद्ध भी निरंतर दबाव बनाया गया। वासेपुर क्षेत्र से जुड़े गिरोहों पर निगरानी और छापेमारी की कार्रवाई जारी रही। पूर्व में 30 और बाद में 12 अतिरिक्त ठिकानों पर की गई छापेमारी की श्रृंखला को जनवरी–फरवरी में भी आगे बढ़ाया गया। इन अभियानों का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आपराधिक नेटवर्क की वित्तीय और संरचनात्मक जड़ों को कमजोर करना था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संगठित गिरोहों की आर्थिक गतिविधियों, अवैध वसूली और आपसी गठजोड़ की भी जांच की जा रही है।

आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई ने भी जिले में स्पष्ट संदेश दिया। धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाले में 17 आरोपियों की

गिरफ्तारी हुई, जिनमें प्रशासनिक स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया कि कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी ने पुलिस की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत किया।

फरवरी माह में न्यायालयों से आए सख्त फैसलों ने अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तोपचांची थाना कांड संख्या 19/19 में दुष्कर्म के मामले में नारायण रविदास उर्फ नरेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। बलियापुर थाना कांड संख्या 38/23 में आर्म्स एक्ट के तहत डोमन राम को दो वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना मिला। वहीं कालूबथान ओपी कांड संख्या 427/25 में पॉक्सो एक्ट के तहत लेचा मुर्मू उर्फ रवि को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इन मामलों में पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी प्रमाणों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों ने कठोर दंड सुनाया। इन सजाओं ने समाज में यह संदेश दिया कि गंभीर अपराधों के लिए दंड अवश्यंभावी है।

सामाजिक तनाव और अफवाह प्रबंधन भी इस अवधि की चुनौती रहा। बच्चे को उठाने की अफवाह के बाद भीड़ द्वारा हमला किए जाने की घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे पुलिस को दें।

इस हस्तक्षेप से संभावित सामुदायिक तनाव को समय रहते नियंत्रित किया गया। 25 फरवरी को सिविल कोर्ट परिसर को बम धमकी ईमेल मिलने की घटना में भी पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने त्वरित कार्रवाई कर परिसर खाली कराया और जांच शुरू की। बाद में स्थिति सामान्य पाई गई, किंतु इस कार्रवाई ने आपातकालीन तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाया।

नगर निकाय चुनाव को देखते हुए जिले में प्रतिदिन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक स्थलों पर अड्डेबाजी, हुड़दंग और शराब सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर विशेष गश्ती दल सक्रिय किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बल की तैनाती की गई। यह स्पष्ट संकेत था कि पुलिस किसी भी प्रकार की चुनावी हिंसा या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगी।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी विशेष पहल की गई। बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए जीटी रोड के लिए विशेष ट्रैफिक ब्लू प्रिंट लागू किया गया। ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर ड्राइविंग और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान 1823 वाहनों की सघन जांच की गई। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने, काले शीशे और अवैध दस्तावेज वाले वाहनों पर चालान काटे गए तथा कई वाहनों को जब्त किया गया। थाना प्रभारी स्वयं सड़कों पर उतरकर जांच का नेतृत्व करते दिखे, जबकि डीएसपी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निगरानी में सक्रिय रहे।

यदि समग्र विश्लेषण किया जाए तो जनवरी–फरवरी 2026 में धनबाद पुलिस की कार्यक्षमता कई स्तरों पर प्रभावी रही। 522 दर्ज

मामलों के मुकाबले 625 मामलों का निष्पादन लगभग 119 प्रतिशत निष्पादन दर का संकेत देता है। सक्रिय अपराधियों की सर्विलांस निगरानी और डिजिटल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया लगभग 85 प्रतिशत प्रभावशीलता को दर्शाती है। साइबर अपराध रोकथाम और तकनीकी सतर्कता लगभग 80 प्रतिशत प्रभावी रही, जबकि लाइव अपराध नियंत्रण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता 80 से 85 प्रतिशत के बीच आंकी जा सकती है। जन-सहयोग आधारित पुलिसिंग और सामाजिक विश्वास निर्माण के क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत तक सकारात्मक प्रभाव देखा गया।

दो महीनों की यह अवधि इस बात का प्रमाण है कि धनबाद पुलिस अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित, डेटा-संचालित और परिणामोन्मुखी रणनीति पर कार्य कर रही है। लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, संगठित अपराध पर निरंतर दबाव, आर्थिक अनियमितताओं में सख्त कार्रवाई, साइबर सतर्कता, न्यायिक समन्वय और सड़क सुरक्षा अभियान—इन सभी ने मिलकर अपराध पर प्रभावी शिकंजा कसने का काम किया है। यदि यही रणनीतिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृढ़ता आगे भी बनी रही तो आने वाले महीनों में अपराध दर में और गिरावट की संभावना है और धनबाद में कानून का राज और अधिक सुदृढ़ होगा। ■

खाकी खबर

कथारा में नकली विदेशी शराब का भंडाफोड़, टाटा मैजिक जब्त

बोकारो : जिले के कथारा क्षेत्र में नकली विदेशी शराब के अवैध कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 21 फरवरी 2026 को कथारा ओपी से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निगरानी की जा रही थी। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे कथारा बस्ती मिडिल स्कूल के पास गश्ती दल ने एक टाटा मैजिक वाहन को रोकने का प्रयास किया। चालक वाहन भगाने लगा, जिसे सशस्त्र बल की मदद से घेराबंदी कर जब्त कर लिया गया। अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर चालक और एक अन्य व्यक्ति फरार हो गए। जप्त वाहन (रजिस्ट्रेशन नंबर JH01CX-7876) से विभिन्न ब्रांड की बड़ी माला में नकली विदेशी शराब, शराब सील करने की मशीन, ढक्कन, स्टीकर, बारकोड और स्पिरिट बरामद की गई। बरामद शराब में किंग्स गोल्ड (72 बोतल), रॉयल गोल्ड कप व्हिस्की (300), आइकॉनिक 180 एमएल (136), आइकॉनिक 375 एमएल (48), मैकडॉवेल्स 180 एमएल (192), मैकडॉवेल्स 375 एमएल (24), बी-7 (48) सहित करीब 20 लीटर तैयार शराब और 35 लीटर स्पिरिट शामिल है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के सैकड़ों ढक्कन, स्टीकर और 2250 बारकोड भी जब्त किए गए। इस मामले में गोमिया (कथारा ओपी) थाना कांड संख्या 26/26 दिनांक 20.02.2026 के तहत बीएनएस-2023 की धाराओं 340(2), 342(2), 274, 275, 292, 3(5) एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी राजेश प्रजापति, रवि कुमार चौरसिया, कृष्णानंद पाठक, अन्थरीयस धान, आरक्षी सुनील कुमार, मु. अमीरूज्जमा, संजय कुमार तथा निजी चालक हरिकेष पटेल शामिल थे। पुलिस ने आमजनों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना नजदीकी थाना या डायल-112 पर देने की अपील की है। कानून हाथ में लेने या अपुष्ट सूचना को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से परहेज करने को कहा गया है।

मतदान के दौरान एसडीपीओ पर हमला, आरोपी गिरफ्तार; जांच शुरू

बोकारो : नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 स्थित विश्रामागार परिसर के मतदान केंद्र पर ड्यूटी के दौरान चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर हमला हो गया। घटना में एसडीपीओ घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मतदान केंद्र और आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मतदान केंद्र के बाहर भारी भीड़ जमा थी। एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 100 मीटर की परिधि में मौजूद अनधिकृत लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान वार्ड 32 की पार्षद प्रत्याशी के पति रामाशंकर सिंह से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई, जो बढ़ते-बढ़ते धक्का-मुक्की में बदल गई। इसी झड़प में एसडीपीओ घायल हो गए।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामाशंकर सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बूथ परिसर में भीड़ लगाकर फर्जी मतदान की कोशिश की जा रही थी और भीड़ हटाने पर विरोध हुआ। बताया गया कि आरोपी वार्ड 32 का पूर्व पार्षद भी रह

चुका है। वहीं मौके पर एक पार्षद प्रत्याशी समेत कुछ महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा या वर्दी पर हाथ उठाने की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा या वर्दी पर हाथ उठाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन के पास युवक की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

बोकारो : 24 फरवरी 2026 को बोकारो : बोकारो रेलवे स्टेशन के टेम्पो स्टैंड के समीप सोमवार शाम करीब 7 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सचिन यादव के रूप में हुई है। घायल अवस्था में उसे तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।मृतक के छोटे भाई मिथिलेश कुमार के लिखित आवेदन पर रेल थाना बोकारो में कांड संख्या 05/26, दिनांक 23.02.2026 के तहत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, रेल जमशेदपुर के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक रेल चक्रधरपुर मनीष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी बलराम कुमार उर्फ भोला विश्वकर्मा (26 वर्ष), निवासी रेलवे गोल मार्केट, थाना-बलिडीह, जिला-बोकारो को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल (मैगजीन सहित), एक मोबाइल फोन तथा घटना के समय पहना गया जैकेट बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार, करीब एक माह पूर्व मृतक सचिन यादव और उसके साथियों द्वारा आरोपी के जीजा धनंजय कर्मकार के साथ मारपीट की गई थी। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। घटना के दिन भी रेलवे स्टेशन परिसर में कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने सचिन यादव को गोली मार दी।गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध बलिडीह थाना एवं आरपीएफ पोस्ट बोकारो में मारपीट, रंगदारी, अपहरण सहित कुल 15 मामले दर्ज बताए गए हैं। इस कांड के अनुसंधान में आरपीएफ बोकारो एवं बोकारो जिला बल का सहयोग लिया जा रहा है। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बरामद सामान में देसी पिस्तौल (मैगजीन सहित) – 01, घटना के समय पहना गया जैकेट – 01 और एक मोबाइल फोन शामिल है।

"वी आर योर फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म" के तहत अनाथ बच्चों में जागरूकता अभियान

बोकारो : 24 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम "वी आर योर फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म" के अंतर्गत माहेर संस्थान में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने संस्थान में रह रहे अनाथ बच्चों से संवाद कर उन्हें उनके अधिकारों, शिक्षा के महत्व, अनुशासन और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।बच्चों को सरल और सहज भाषा में समझाया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या, भय या आपात स्थिति में वे अपने अभिभावक, शिक्षकों या नजदीकी पुलिस से तुरंत संपर्क करें। उन्हें बताया गया कि आपात सहायता के लिए डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद ली जा

सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक किया।कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच खेल सामग्री का भी वितरण किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। साथ ही संस्थान प्रबंधन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस की इस पहल को बच्चों और संस्थान की ओर से सकारात्मक सराहना मिली।

बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों के साथ मारपीट, 3 गिरफ्तार

धनबाद : जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ द्वारा दो निर्दोष लोगों की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। डब्लू महतो और दीपक महतो को केवल संदेह के आधार पर कुछ लोगों ने घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को भीड़ से सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस संबंध में कांड संख्या-11/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल तीन आरोपियों—विनय मिष्टी, आकाश तुरी और सोनू तुरी—को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि अफवाह के आधार पर कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तुरंत डायल 112 पर सूचना दें, ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ई-मेल से बम की धमकी के बाद धनबाद कोर्ट में सुरक्षा अलर्ट, एसएसपी के नेतृत्व में हाई लेवल सर्च ऑपरेशन

धनबाद : धनबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ई-मेल के जरिए भेजी गई धमकी को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रभात कुमार भारी पुलिस बल के साथ तत्काल कोर्ट परिसर पहुंचे और स्थिति की कमान स्वयं संभाली।धमकी के बाद कोर्ट परिसर की तत्काल घेराबंदी कर दी गई। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाव के लिए प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। कोर्ट रूम, जजों के चैंबर, रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी, बार एसोसिएशन हॉल, कैंटीन, पार्किंग क्षेत्र, गार्डन और आसपास के खुले स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई।पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक चला। हर संदिग्ध वस्तु की जांच की गई और किसी भी अनजान पैकेट या लावारिस सामान को विशेष सावधानी के साथ चेक किया गया।जांच के लिए डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। रेलवे सुरक्षा बल के दो स्निफर डॉग और सीआईडी धनबाद की टीम एक स्निफर डॉग के साथ मौके पर पहुंची। तीनों स्निफर डॉग की मदद से कोर्ट परिसर से लेकर जेल गेट तक सघन तलाशी ली गई।इसके साथ ही हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों की सहायता से जांच की गई। पार्किंग में खड़े सभी वाहनों की जांच की गई। कुछ संदिग्ध वाहनों को जब्त कर उनकी भी विशेष जांच की गई। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उनकी तलाशी भी ली गई।एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। हालांकि, ई-मेल के जरिए भेजी गई धमकी की गहन जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है। मेल भेजने वाले की

खाकी खबर

पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर और टेक्निकल सेल की विशेष टीम को लगाया गया है। आईपी एड्रेस, सर्वर डिटेल और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके ।जांच पूरी होने के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। इसके पश्चात न्यायिक कार्य पुनः सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया ।जेल गेट से लेकर पूरे कोर्ट परिसर तक सुरक्षा पहले से ही मजबूत थी, लेकिन धमकी के बाद इसे और अधिक सख्त कर दिया गया है। वॉच टावर से लगातार निगरानी की जा रही है और सभी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है ।इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार के साथ ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा, जिले के कई डीएसपी और एसडीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने मिलकर पूरे अभियान की निगरानी की ।पुलिस ने आम नागरिकों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एसएसपी महोदय ने कहा कि सुरक्षा के साथ जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना दखल करवाये वापस लौटे कोर्टकर्मी व पुलिस, कोर्ट कर्मी देंगें रिपोर्ट

बोकारो : चीरा चास में एक विवादित भूमि पर दखल दिलाने गये कोर्ट कर्मी व पुलिस को विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। ज्ञात हो कि व्यवहार न्यायालय ने वेंकटेश नारायण के पक्ष में फैसला दिया था, फैसले के बाद कोर्ट कर्मी पुलिस लेकर जमीन पर गये जहाँ उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि चीरा चास स्थित पांडेयपुल के समीप खाता संख्या 263 प्लॉट 103, 104, 105 में 10 डिसमिल का विवाद वेंकटेश नारायण व प्रमोद सिंह के बीच चल रहा था। लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिला जज के न्यायालय में दूसरे पक्ष ने अपील किया, जिसके बाद जिला जज ने फैसला वेंकटेश नारायण के पक्ष में दिया तथा जमीन पर दखल कराने का निर्देश दिया लेकिन प्रमोद सिंह ने मापी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा मामला हाई कोर्ट में है जिसपर स्टे लगा हुआ है लेकिन कोर्ट से आये कर्मी ने कहा निचली अदालत को कोई स्टे आर्डर नहीं मिला है। मै कोर्ट को रिपोर्ट करूँगा। बताते हैं कि लंबे समय से विवाद दोनों पक्षों में चल रहा है। वेंकटेश नारायण के मुताबिक उनके साथ जबरदस्ती हो रहा है।

बच्चा चोरी की आशंका में तीन महिलाओं की बेरहमी से पिटाई, पुलिस वाहन पर हमला

धनबाद : जिले में बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच एक बार फिर भीड़ की हिंसक मानसिकता सामने आई। ताजा मामला ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास का है, जहां मंगलवार को अफवाह फैलते ही उग्र भीड़ ने तीन महिलाओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक बच्चा चोरी की चर्चा फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए और मौके पर मौजूद तीन महिलाओं को पकड़कर लात-घूंसों और जूतों से मारपीट शुरू कर दी ।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन पर भी चप्पल-जूते फेंके। काफी मशक्कत के बाद

पुलिस ने तीनों महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित थाने पहुंचाया।बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अब तक बच्चा चोरी की पुष्टि नहीं हुई है और प्रारंभिक जांच में मामला अफवाह प्रतीत हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम चुनाव गोलीकांड मामले में शिवम आजाद समेत पांच गिरफ्तार, हथियार व गोली बरामद

गिरिडीह : गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान हुई हिंसक झड़प व गोलीबारी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने इस मामले में पांच अभियुक्तों शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, अमित विश्वकर्मा, आकाश हांडी, मंजीत पासवान और किशोर पासवान को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक 7.65 एमएम देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं. बरामद सामान को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है. गौरतलब है कि मतदान के बाद वार्ड नंबर 18 के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया गया. इसी दौरान भीड़ में किसी ने गोली चला दी. इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मामले में प्राप्त आवेदन के आधार पर पचंबा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. घायल मोहम्मद शमीम और रबिना खातून के बयान पर अलग-अलग कांड दर्ज किए गए. इसके बाद घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीओ) के नेतृत्व में चार टीमों ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनकी निशानदेही पर कई सामान भी बरामद किए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि चुनावी हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की ई-मेल धमकी के बाद हाई अलर्ट

धनबाद : धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल के माध्यम से धमकी भेजे जाने के बाद तुरंत पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। जजों, स्टाफ, वादकारियों और अन्य मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि परिसर में बम लगाए गए हैं और इसे उड़ाया जा सकता है। लगभग तीन घंटे तक काम काज ठप रहा। सिटी एसपी के क्लियरेंस के बाद 2:40 बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सूचना मिलते ही सिटी एसपी, डीएसपी, थाना

खाकी खबर

प्रभारी सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोर्ट के 28 भवनों सहित पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने एक-एक कमरे, चैंबर और कोने की बारीकी से जांच शुरू कर दी। आरपीएफ की डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची और स्निफर डॉग्स के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महिला आरक्षित पुलिस बल को भी ट्रक से बुलाया गया। सीटीएसपी और थाना प्रभारी रोड से चिल्लाते हुए परिसर में दाखिल हुए और तलाशी अभियान तेज कर दिया। फिलहाल कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। यह धमकी झूठी (होक्स) साबित हो सकती है, जैसा कि हाल के दिनों में रांची, पटना और अन्य जगहों पर कई कोर्ट्स में मिली धमकियों के मामले में हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट का कार्य पूरी तरह ठप है। वादकारियों और अधिवक्ताओं को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है।

SSC (MTS) ऑनलाइन परीक्षा में कदाचार का खुलासा

धनबाद : गोविन्दपुर थाना क्षेत्र स्थित मिनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र में तकनीकी उपकरण के जरिए नकल कराने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो परीक्षार्थियों सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान सेंटर के रजिस्ट्रेशन मैनेजर की संलिप्तता भी सामने आई है, जिससे पूरे मामले ने संगठित रूप ले लिया है।छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो ब्लूटूथ स्पाई डिवाइस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि नकल कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी आठ लाख रुपये तक की डील तय की गई थी। इस मामले में गोविन्दपुर थाना में कांड संख्या 68/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और संभावित अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

रेलवे में नौकरी के नाम पर 40 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार

धनबाद : धनबाद थाना कांड सं0-59/26 में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹40,47,000 की ठगी मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षु) श्री अंकित सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों संजीत कुमार और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया है। मामला तमिलनाडु निवासी आवेदक की शिकायत पर दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेलवे का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा प्रमाणपत्र, अभ्यर्थियों के दस्तावेज, IRCTC की मुहर, बैंक चेकबुक, ₹20,000 नकद, दो कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।

खाकी खबर

धनबाद में सख्त एंटी क्राइम अभियान, 47 पर कार्रवाई

धनबाद : धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर व्यापक एंटी क्राइम अभियान चलाया गया। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिलेभर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत 1552 वाहनों की जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया।अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अड्डाबाजी और शराब का सेवन करते 47 लोगों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई।पुलिस की इस सक्रिय कार्रवाई से आम लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है।

धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण, सुविधाएं सुधारने के निर्देश

धनबाद : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष श्री बालकृष्ण तिवारी, सचिव डालसा श्री मयंक तुषार टोपनो, उपायुक्त श्री आदित्य रंजन और एसएसपी श्री प्रभात कुमार की संयुक्त टीम ने गुरुवार को धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने बंदियों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव, धमकी या प्रताड़ना की स्थिति की जांच की। बंदियों से स्वास्थ्य, भोजन, पेयजल और कानूनी सहायता की उपलब्धता पर जानकारी ली गई। जेल अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों को बेहतर इलाज के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र भेजने का निर्देश दिया गया। टीम ने पुस्तकालय, रसोई, चिकित्सा सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और योग केंद्र का भी जायजा लिया। बंदियों के लिए बैठने की व्यवस्था, पठन-पाठन सामग्री, खेल व व्यायाम उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया। न्यायाधीश ने जेल मैनुअल के तहत सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अपराध नियंत्रण व अड्डाबाजी के रोकतहम हेतु सिटी हॉक्स का फ्लैग मार्च, शरारती तत्वों को कड़ा संदेश

धनबाद : धनबाद में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अड्डाबाजी पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने सिटी हॉक्स टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर निकाले गए इस मार्च का नेतृत्व डीएसपी (सीसीआर) सुमित कुमार ने किया।फ्लैग मार्च के दौरान हीरापुर, स्टेशन रोड, बैंक मोड़, धनसार चौक, नया बाजार, सिटी सेंटर, मेमको मोड़, गोल बिल्डिंग, स्टील गेट, सरायढेला और पुलिस केंद्र सहित कई व्यस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त की गई। पुलिस की मौजूदगी से शहर में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ और आम नागरिकों में भरोसा बढ़ा।डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया

गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अड्डाबाजी के विरुद्ध पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय थाना या डायल 112 पर देने का आग्रह किया। आने वाले दिनों में गश्त और निगरानी को और सख्त किए जाने की बात भी कही गई, ताकि जिले में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

धनबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई से घटे लंबित मामले

धनबाद : समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में जनवरी 2026 माह की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों के निष्पादन और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में बताया गया कि जनवरी माह में जिले में कुल 522 कांड दर्ज हुए, जबकि पुलिस ने 625 मामलों का निष्पादन किया। दर्ज मामलों से अधिक निष्पादन होने के कारण लंबित मामलों की संख्या घटकर लगभग दो हजार रह गई है। इसे पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम माना गया।एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वारंट और कुर्की से जुड़े लंबित मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कानून का भय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए 950 सक्रिय अपराधियों को सर्विलांस पर रखा गया है, जबकि पिछले पांच वर्षों में जमानत पर बाहर आए लगभग चार हजार अपराधियों की गतिविधियों पर भी तकनीकी माध्यमों से

निगरानी की जा रही है। पुनः अपराध में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को प्रतिदिन एंटी क्राइम अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर अड्डेबाजी, हुड़दंग और शराब सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।बैठक में जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर भी चिंता जताई गई। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जीटी रोड पर विशेष ट्रैफिक ब्लू प्रिंट लागू करने और ओवरस्पीडिंग व लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।बैठक में ग्रामीण एसपी कपील चौधरी, सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा सहित सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी मौजूद थे।

अपहरण की कहानी के पीछे हत्या की साजिश का खुलासा

धनबाद : अपहरण और 15 लाख रुपये की फिरौती के मामले की जांच के दौरान अमित मित्तल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि सरायढेला निवासी विकास खंडेलवाल ने लोन विवाद के कारण अमित मित्तल की हत्या कर दी थी

खाकी खबर

और घटना को अपहरण का रूप देने की कोशिश की ।जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से शव बरामद किया, जिसे छिपाकर रखा गया था। मामले में प्रयुक्त हथियार, खून से सना कपड़ा, बाइक और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं ।पुलिस ने विकास खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ताला तोड़कर पंचायत भवन में चोरी का खुलासा, दो गिरफ्तार

बोकारो : पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत 01 फरवरी 2026 की रात पंचायत भवन अरजुआ में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। अज्ञात चोरों ने भवन का ताला तोड़कर बैटरी, इन्वर्टर और वेपर लाइट की चोरी कर ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी गए सामान बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है ।यदि चाहें तो इसे और अधिक विस्तृत, विश्लेषणात्मक या सम्पादकीय शैली में भी तैयार किया जा सकता है।

गुप्त सूचना पर अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

बोकारो : बोकारो में पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पेटरवार थाना क्षेत्र में छापामारी कर अवैध विदेशी शराब के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण तथा अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई। इस मामले में संलिप्त पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।बोकारो पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सीजूवा पहाड़ी के नीचे जुआ अड्डे पर छापा, छह गिरफ्तार

बोकारो : बोकारो में पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजेंद्र नगर स्थित आर्या बिहार के पास सीजूवा पहाड़ी के नीचे चल रहे जुआ अड्डे पर बालीडीह थाना पुलिस ने छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों ने घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मौके से दबोच लिया ।गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 32,690 रुपये नकद, दो स्कूटी, पांच मोबाइल फोन तथा जुआ खेलने में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

■ कहानी

मैं बिकाऊ हूँ

डॉ प्रशान्त करण (IPS)
पूर्व डीआईजी, साहित्यकार
रांची, झारखण्ड।

रिटायरमेंट के बाद रवि बाबू को पैसे की तंगी हो गई थी। नौकरी के बकाए पैसे के लिए उन्हें गैर-सरकारी से सरकारी अफसरों, वकीलों, डॉक्टरों, नेताओं आदि से पाला पड़ा। लेकिन अपने बुद्धि-कौशल से वे बकाया वसूल करने में सफल रहे। बुद्धि-कौशल भी उन्हीं अफसरों, वकीलों, डॉक्टरों, नेताओं आदि से सीखा था। अब वे सार्वजनिक रूप से ऐलान करते फिरते हैं कि मैं बिकाऊ हूँ। रवि बाबू का साफ कहना है कि बिकने में कोई हिल-हुज्जत नहीं करता, कोई मोल-तोल नहीं करता, कोई खींच-खींच नहीं; एकदम से झटके भर में ग्राहक देखकर बिक जाता हूँ। बिकने का आनंद ही कुछ और है।

कभी एक समय था कि करोड़ों रुपये में भी नहीं बिका। नतीजा यह हुआ कि बड़ी कठिनाई से परिवार चलता। पैसे के लाले पड़े थे, खर्च मुँह बाए खड़े रहते और हम मजबूर। पर जब से बिकने लगा हूँ, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है। पैसे खर्च ही नहीं होते। कभी-कभार खर्च करने की नौबत आती भी है तो मुझे खरीदने वाला बिना मुझसे पूछे या बताए वह खर्च कर डालता है। अब जिंदगी मजे से कट रही है। लगता है कि खालिस सरकारी महकमे में बड़े पोस्ट पर लगा हूँ या राजनीति में ऊंचे मुकाम पर पहुँच गया हूँ। इसलिए दिन-दहाड़े, सरेआम यह कहता फिरता हूँ कि मैं बिकाऊ हूँ। जो चाहे मुझे खरीद सकता है। अपना तो बिकना और बिकते रहना ही एकमात्र उसूल है। हाँ—जैसा काम, वैसा दाम। पर दाम खुद नहीं बोलता। यह खरीदने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। कीमत कम होती है तो मैं अपने से काम में कटौती कर देता हूँ और आत्मविश्वास से झूठ बोलकर बहाने बना लेता हूँ। पर

बिकाऊ हूँ। जो चाहे, जब चाहे मुझे खरीद सकता है। थोक में खरीदे या खुदरे में, एक बार ही खरीद ले या किश्तों में, मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ। रात-दिन बस ग्राहकों के फिराक में रहता हूँ। अब तो तजुर्बा इतना हो गया है कि ग्राहक को देखकर ही समझ जाता हूँ कि कैसे बिकूँगा और खरीदने वाला कब-कैसे दाम देगा।

एक दिन अहले सुबह रवि बाबू तैयार होकर घर से निकलने लगे। घरवाली ने पूछा—कुछ खा कर जाओ, पता नहीं कब आओगे। रवि बाबू ने उन्हें मुस्कुराते हुए समझाया—काम ऐसा है कि खरीदने वाला खुशामद कर खिलाएगा और तुम्हारे लिए भी बाँधकर देगा। इसलिए अपने घर का आटा गीला मत करो। दोपहर तक लौट आऊँगा। यह कहकर रवि बाबू ने अपने खटारा फटफटिया स्टार्ट की। शहर से निकले ही थे कि देहाती थाने में लगी चेकिंग में रोक लिए गए। रवि बाबू के पास न तो उस खटारा फटफटिया के कोई कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस। नाके पर पुलिस के जमादार साहब मथुरा जी की ड्यूटी थी। मथुरा जी रवि बाबू को देखकर समझ गए कि वे अच्छे दामों में बिकेंगे और रवि बाबू समझ गए कि मथुरा जी उन्हें ऊंची कीमत में जरूर खरीदेंगे। दोनों ने आजमाइश शुरू की। मथुरा जी ने गाड़ी जब्त और उन्हें चोरी की गाड़ी बताकर उन्हें जेल भिजवाने तक की बात कह डाली। रवि बाबू मुस्कुराते रहे। जब भीड़ थोड़ी कम हुई और मथुरा जी अकेले हुए, तब रवि बाबू ने अचूक दांव चल दिया। मथुरा जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रवि बाबू बोले—अरे मथुरा जी! यहाँ देहाती थाने में क्या रखा है? क्या आमदनी होती है—हम नहीं जानते क्या? आप कहिए तो आपको शहर के राजमार्ग वाले ओपी का इंचार्ज बनवा देंगे। दांव सही लगा। मथुरा जी रवि बाबू को हाथ पकड़कर किनारे ले गए। बोले—आप कैसे मेरा पोस्टिंग कराइएगा? रवि बाबू बोले—आपका गृह सचिव मेरा सहपाठी है। यह सुनते ही मथुरा जी का मुँह खुला का खुला रह गया। वे रवि बाबू को सलाम करके बोले—हजूर, गलती हो गई। आपको पहचान नहीं पाए। कैसे पोस्टिंग होगी, सो बताया जाए। जिस भक्ति-भाव से, जिस जिज्ञासा से मथुरा जी पूछ रहे थे, जैसे लगा कि विष्णु-पुराण के प्रथम अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में सुत जी पराशर जी से कह रहे हों—

ब्राह्मणं प्रसादप्रवणं कुरुष्व मयि मानसम।
एनाहमेतज्जानीयां त्वत्प्रसादान्महामुने॥

अर्थात—हे ब्राह्मण! आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने, मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँ।

रवि बाबू ने जब देखा कि बिकने के लिए उपयुक्त ग्राहक

है तो वे धीरे से उनके कान में बोले—सरकारी मशीनरी का काम है। आप तो जानते हैं कि मशीन चलने में तेल खर्च होता है। मथुरा जी की आँखों में बड़ी आशावादिता उमड़ पड़ी। उन्होंने खुद कहा—हजूर, वहाँ की पोस्टिंग के लिए चार लाख लगता है, आप कुछ सस्ते में करवा दीजिए। रवि बाबू ने मथुरा जी को ताड़ लिया। फिर बोले—साढ़े तीन में काम हो जाएगा, लेकिन एडवांस में

देना पड़ेगा। मथुरा जी ने कहा—हजूर, अगले सोमवार तक इंतजाम हो जाएगा। कहाँ मिलिएगा? रवि बाबू फोन चेक कर बोले—अगले रविवार को मुझे इधर ही आना है, देख लीजिए। मथुरा जी ने रवि बाबू को मुस्कुराते हुए सलाम किया और रवि बाबू अपने अगले ग्राहक के यहाँ चल पड़े।

अगले रविवार मथुरा जी चेक नाका पर सुबह से ही तैयारी की हालत में रवि बाबू के इंतजार में खड़े थे। देर शाम रवि बाबू आए और मथुरा जी उन्हें सलाम कर मिले। रवि बाबू चलते-चलते बोले—शुक्रवार तक आपका काम हो जाएगा। रवि बाबू ने एसपी के कानों तक यह बात रामलाल जी से पहुँचा दी कि मथुरा जी तो काफी लूट-पाट मचा रखे हैं; उन्हें शंट करने के लिए राजमार्ग वाले ओपी में भेज दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एसपी साहब नए थे। बुधवार को ही मथुरा जी की बदली ओपी में हो गई। रवि बाबू को रामलाल जी ने खबर दे दी। रवि बाबू ने रामलाल जी को धन्यवाद दिया, और रवि बाबू से अपनी तारीफ सुनकर उन्हें शाम की पार्टी में बुला लिया।

रवि बाबू अब जोर से कहने लगे हैं कि मैं बिकाऊ हूँ। क्या आप उन्हें खरीदना चाहते हैं?

पूर्णेन्दु 'पुष्पेश'
पत्रकार-साहित्यकार-कलाकार
बोकारो , झारखण्ड।

■ व्यंग्य

वर्दी, विवेक और व्यवस्था का "समझदार" गणित

हमारे देश में अच्छा पुलिस अधिकारी वही माना जाता है, जो हर सवाल का जवाब देने से पहले यह समझ ले कि सामने वाला कौन है। अगर सामने आम आदमी है तो कानून समझाइए, और अगर सामने "खास आदमी" है तो कानून समझ लीजिए। यही आज की व्यवहारिक पुलिसिंग है.....लचीली, परिस्थितिजन्य और बेहद समझदार।

अब पुराना जमाना गया जब पुलिस की परिभाषा थी -कानून का पालन करवाना। अब नई परिभाषा है - परिस्थिति का संतुलन बनाए रखना। अपराध हुआ? पहले देखिए किसका हुआ। शिकायत आई? पहले देखिए किसने की। कार्रवाई करनी है? पहले देखिए किस पर करनी है। कानून किताब में भले ही सबके लिए बराबर हो, लेकिन जमीन पर उसका इस्तेमाल हमेशा "अनुकूल" होना चाहिए।

आज का सफल पुलिस अधिकारी वही है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ जाए। जैसे,फोन की घंटी

का महत्व FIR से ज्यादा है। किसी की सिफारिश का वजन केस डायरी से ज्यादा है। और "ऊपर से आया निर्देश" संविधान की किसी भी धारा से ज्यादा प्रभावी है।

व्यवस्था ने पुलिसिंग को इतना विकसित कर दिया है कि अब अपराध से ज्यादा जरूरी उसकी टाइमिंग हो गई है। गलत समय पर पकड़ा गया अपराधी भी सिस्टम के लिए समस्या बन सकता है। इसलिए समझदार अफसर वही है जो समय देखकर सख्ती करे और समय देखकर नरमी।

अब तो कई अफसर इस कला में इतने दक्ष हो चुके हैं कि वे कानून को रबर की तरह खींच और मोड़ सकते हैं। जरूरत पड़े तो सख्त, जरूरत पड़े तो नरम। और जरूरत न हो तो मौन।

त्रासदी यह है कि इस पूरे खेल में ईमानदारी सबसे बड़ा व्यवधान बन जाती है। एक ईमानदार पुलिसकर्मी व्यवस्था के लिए वैसा ही है जैसे ट्रैफिक में अचानक आ गया लाल सिग्नल ....सबकी रफ्तार रोक देता है। वह फोन नहीं समझता, संकेत नहीं समझता, इशारे नहीं समझता। उसे सिर्फ कानून समझ आता है।

ऐसा पुलिसकर्मी अक्सर "कम समझदार" घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है—"अभी नया है", "सिस्टम नहीं समझता", "थोड़ा समय लगेगा"। और अगर समय के साथ भी वह नहीं बदला तो फिर उसे "साइड पोस्टिंग" नामक ध्यान योग में भेज दिया जाता है, जहां वह आत्मचिंतन कर सके कि आखिर गलती कहां हुई।

लेकिन सच पूछिए तो जनता को सबसे ज्यादा भरोसा इसी "असमझदार" पुलिसकर्मी पर होता है। क्योंकि वह सुविधा का नहीं, सिद्धांत का आदमी होता है। वह हर फोन को आदेश नहीं मानता और हर सिफारिश को निर्देश नहीं समझता।

वह जानता है कि कानून अगर सबके लिए बराबर नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व सिर्फ कागज तक सीमित है। और जनता अगर पुलिस से डरने लगे, भरोसा न करे, तो वर्दी सिर्फ कपड़ा रह जाती है।

दरअसल, व्यवस्था के इस "समझदार" दौर में भी सबसे बड़ा जोखिम वही पुलिसकर्मी उठाता है जो ईमानदार रहता है। क्योंकि वह किसी का नहीं होता ...न नेता का, न अफसर का, न प्रभावशाली का। वह सिर्फ कानून का होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।

सच तो यह कि जिसे सिस्टम नासमझ समझता है, वही समाज के लिए सबसे जरूरी होता है। क्योंकि अंत में जनता को स्मार्ट नहीं, सच्चा पुलिसकर्मी चाहिए। ऐसा पुलिसकर्मी जो कानून के दायरे में रहकर इंसानियत निभाए। जो संवेदनशील हो लेकिन समझौता न करे। जो सख्त हो लेकिन अन्यायी न बने। वर्दी की असली इज्जत पद से नहीं, व्यवहार से बनती है। और किसी भी दौर में, किसी भी व्यवस्था में। ...जनता के प्रति ईमानदार, कानून के प्रति प्रतिबद्ध और संवेदनशील पुलिसकर्मी ही सबसे श्रेष्ठ होता है। वही व्यवस्था को बचाता है, वही समाज को भरोसा देता है, और वही वर्दी को सम्मान दिलाता है।

पर इतनी माथापच्ची कौन करे ! कौन सा अपना प्रारब्ध सुधारना है। यहाँ तो बात-बात पर पैसे खर्चने हैं। प्रमोशन से लेकर पोस्टिंग तक। सडेन सिचुएशन से लेकर एसोसिएशन तक। सिस्टम से चलना होता है। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। सबकुछ खुद मैनेज करना होता है। लोग अपनी भाषणबाज़ी अपने तक ही रखें!!

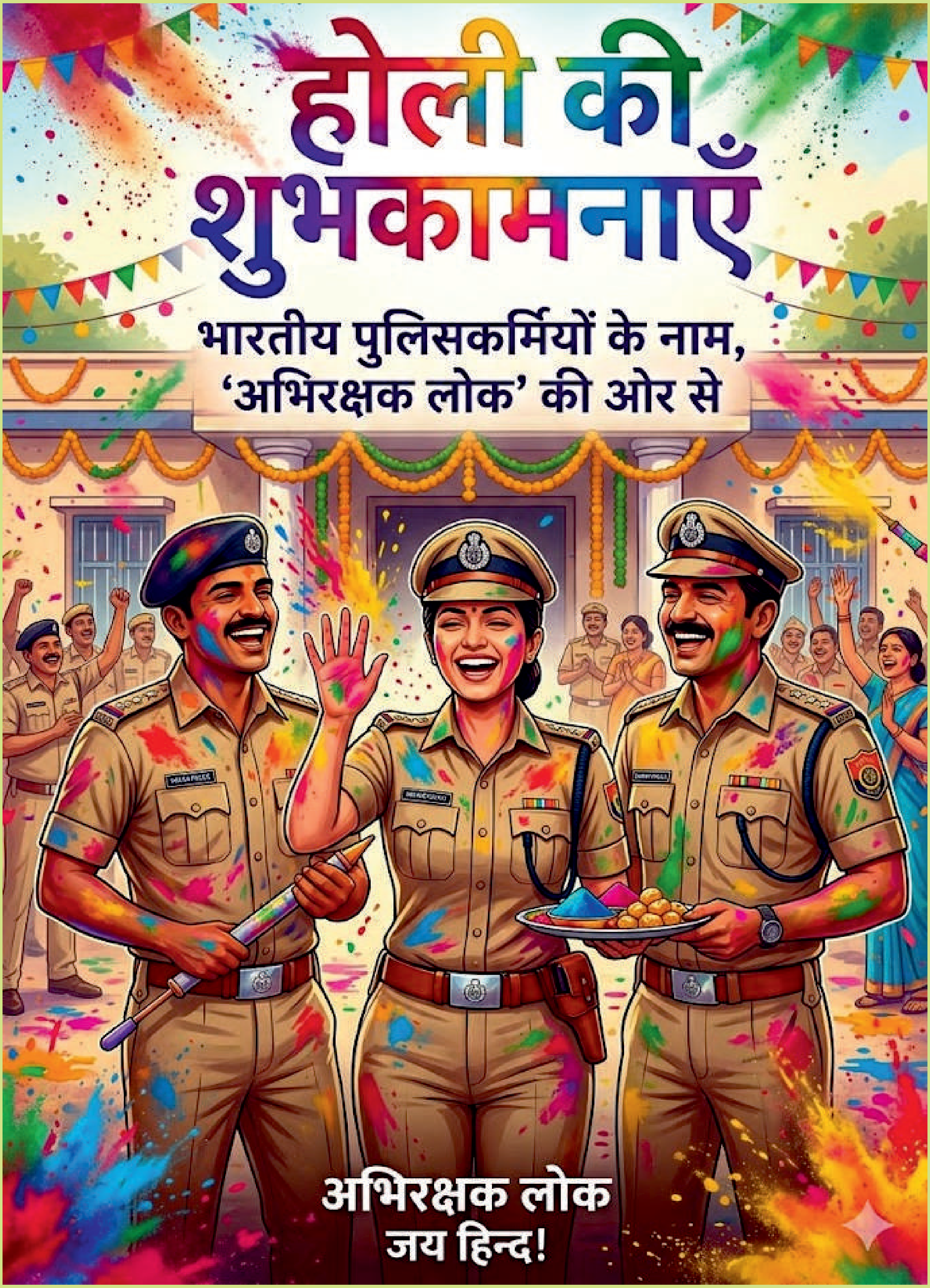
होली की शुभकामनाएँ
भारतीय पुलिसकर्मियों के नाम,
'अभिरक्षक लोक' की ओर से
अभिरक्षक लोक
जय हिन्द!

APPRECIATE YOUR BEST POLICE MEN